

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

डायल-112 सेवा के विस्तार (राज्य के शेष 17 जिलों एवं 05 नव सृजित जिलों सहित कुल 22 जिलों के लिए) हेतु राशि ₹100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 3

एस.आर.ई. (प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय) योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अग्रिम केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि एसएनए खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु नवीन शीर्ष राशि ₹ 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।